रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1965 (अग्रहायण 20, 1887)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1965 (AGRAHAYANA 20, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 30 नवम्बर 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 30th November 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
171	No. 101-ITC(PN)/65 dated 24th Nov. 1965.	Ministry of Commerce	Import of drugs and medicines (S. No. 87/190/IV).
172	No. 102-ITC (PN)/65 dated 26th Nov. 1965.	Do.	Import of Machinery Components There of, equipment, other commodities and raw materials from U.S.A. under AID Loan No. 103.
	No. 103-ITC(PN)/65 dated 26th Nov. 1965.	Do.	Import of BROMINE (S. No. 13 in I list in Appendix 28). falling under S. No. 22, 31/V of the ITC Schedule during April 1965—March 1966 period.
173	No. 104-ITC(PN)/65,dated 30th Nov. 1965.	Do.	Import policy for April 65 March 66 period—Ban on import of Certain types of machine tools.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager withhin ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	695
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	1045
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	73
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	649
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश, और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1931
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	3949
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	323
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	859
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	449
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	187
भाग III—खंड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	3445
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	229
पूरक सं० 50—	
4 दिसम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	1739
13 नवम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1749

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	695
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1045
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	73
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	649
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1931
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3949
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	323
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	859
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	449
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	187
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3445
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	229
SUPPLEMENT No. 50—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 4th December 1965	1739
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 13th November 1965	1749

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 27 नवम्बर 1965

सं० 9/84/65-पुलिस 4—राष्ट्रपति, केरल के निम्नांकित पुलिस अधिकारियों को नागाप्रदेश के विशेष भागों में कार्य करने पर पुलिस कठिन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का पद तथा नाम

1. निरीक्षक . . एन० सदाशिवों
2. निरीक्षक . . के० पीताम्बरं नायार
3. निरीक्षक . . सी० पी० रामन
4. उप-निरीक्षक . ल्योपोल डीसूजा
5. उप-निरीक्षक . अब्दुल हमीद

2. ये पदक पुलिस कठिन सेवा पदक नियमावली के नियम 1 के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं ।

दिनांक 29 नवम्बर 1965

सं० 24/3(4)/64-पुलिस(1) (पी० 4)—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित प्रदेशों में कार्य करने पर पुलिस कठिन सेवा पदक प्रदान करते हैं ।

नागा प्रदेश

क्रम० सं०	व्यक्तिगत सं०	पद	नाम
1	2	3	4
1.		असिस्टेन्ट कमाण्डैन्ट	जे० टी० तुली
2.		असिस्टेण्ट कमाण्डैन्ट	जी० डी० एम० थापा
3.		कम्पनी सैकण्ड इन-कमाण्ड	एस० एन० नाथनी
4.		,,	एम० डी० सिंह
5.		,,	एम० एन० कर्बात्याल
6.		,,	डी० ऐस० पुण्डेय
7.		,,	ई० एस० गहलोट
8.		,,	के० पी० मिश्र
9.		,,	नथू राम
10.		,,	खजान सिंह
11.		,,	डी० बी० गुरूंग
12.		,,	राजे सिंह
13.		,,	के० पी० तुंगनावत
14.		,,	एस० एम० तिवारी
15.		,,	पी० जोसिफ़
16.		,,	बी० के० सिंह
17.		,,	एम० एम० ए० खान
18.		,,	मान बहादुर
19.		,,	हमीर सिंह
20.		,,	डी० भट्टाचार्य
21.	128	कान्स्टेबल	भगवान सिंह
22.	246	,,	गोविन्द सिंह
23.	247	कान्स्टेबल	गोविन्द सिंह
24.	570	,,	बहादुर सिंह
25.	571	,,	बहादुर सिंह
26.	383	,,	रामनाथ
27.	153	,,	छोटे सिंह

2. ये पदक पुलिस कठिन सेवा पदक नियमावली के नियम 1 के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं ।

जी० एल० बैलूर, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 1965

सं० 12/38/65-ई० प्रा०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी० के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई भारत सरकार सहर्ष आदेश देती है कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित फर्मों की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो उनकी है, उनके पास है अथवा जो उनकी ओर से प्रबन्ध में है, भारत के शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक के अधिकार में चली जाएगी ।

अनसूची

1. मैसर्स एम० नजीर हुसैन एण्ड कम्पनी, 40/41, माधव राम हाई रोड, पैराम्बुर, **मद्रास-11** ।
2. मैसर्स पैराम्बुर कोम टैनेरी, 40/41, माधव राम हाई रोड, पैराम्बुर, **मद्रास-11** ।
3. मैसर्स एन० कुरेशी, 40/41, माधव राम हाई रोड, पैराम्बुर, **मद्रास-11** ।

दिनांक 19 नवम्बर 1965

सं० 12/41/65-ई० प्रा०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई भारत सरकार सहर्ष आदेश देती है कि मैसर्स मोखमदीन एण्ड सन्स, एस्टेट्स लि०, पी०/3, चांदनी चौक स्ट्रीट, कलकत्ता की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो उनकी है, उनके पास है अथवा जो उनकी ओर से प्रबन्ध में है, भारत के शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक के अधिकार में चली जाएगी ।

दिनांक 22 नवम्बर 1965

सं० 12/40/65-ई० प्रा०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई भारत सरकार सहर्ष आदेश देती है कि मैसर्स अमीन एजेन्सीज़ लि०, 25/26, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता-1 की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो उनकी है, उनके पास है अथवा जो उनकी ओर से प्रबन्ध में है, भारत के शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक के अधिकार में चली जाएगी ।

दिनांक 23 नवम्बर 1965

सं० 12/37/65-ई० प्रा०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई भारत सरकार सहर्ष आदेश देती है कि मैसर्स हाजी हबीब

हाजी पीर मोहम्मद, 25, अमराटोला, स्ट्रीट, कलकत्ता-1 की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति, जो उनकी है, उनके पास है अथवा जो उनकी ओर से प्रबन्ध में है, भारत के शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक के अधिकार में चली जाएगी ।

सं० 12/39/65-ई० प्रा०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई भारत सरकार सहर्ष आदेश देती है कि मि० हाजी हबीब हाजी पीर मोहम्मद (मैसर्स हाजी हबीब हाजी पीर मोहम्मद नामक सांझेदारी में उनका जो हिस्सा है, उसके अतिरिक्त), 25, अमराटोला स्ट्रीट, कलकत्ता-1 की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो उनकी है, उनके पास है अथवा जो उनकी ओर से प्रबन्ध में है, भारत के शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक के अधिकार में चली जाएगी ।

पी० के० जे० मेनन, संयुक्त सचिव

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1965

शुद्धिपत्र

सं० एल० ई० आई० (ए०)-3(4)/64—इस मंत्रालय के संकल्प सं० एल० ई० आई० (ए०)-3(4)/64, दिनांक 17 सितम्बर, 1965 में जो भारत का राजपत्र भाग 1, खण्ड-1, दिनांक 2 अक्तूबर, 1965 (10 अश्विन, 1887) में प्रकाशित हुआ था, राजपत्र के पृष्ठ संख्या 546 पर कालम संख्या 2 में विद्यमान प्रविष्टि संख्या 2(10) **के स्थान** पर निम्नलिखित **पढ़ा जायें** :—

"10 श्री एम० पनिक्कर,
मेसर्स महिन्द्रा इंजी० कं० लि०,
5, हाइड रोड,
कलकत्ता-43"

आदेश

आदेश दिया गया कि इस शुद्धिपत्र की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये और सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जायें ।

संकल्प

दिनांक 27 नवम्बर, 1965

सं० 37(1)/64-एल० इण्ड० (2)—प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12(घ) के अधीन भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग से निवेदन किया है कि वह दियासलाई उद्योग की मूल्य संबंधी पूर्णरूपेण जांच इस दृष्टिकोण से करे जिससे 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग के कारखानों में उत्पादन व्यय का पता लगाया जा सके और दियासलाइयों के कारखाने से चलते समय के तथा थोक बिक्री मूल्यों के संबंध में सिफारिश कर सके ।

आयोग से निम्न बातों की जांच करने के लिए भी निवेदन किया गया था :—

(1) क्या 'ख' और 'ग' वर्ग के कारखानों का जानबूझ कर विभाजन इस दृष्टि से किया गया है जिससे कम दर वाले उत्पादन शुल्क का लाभ उठाया जा सके और यदि ऐसा है, तो इसके उपचार संबंधी उपायों के बारे में सुझाव देना; और

(2) क्या लघु और मध्यम कारखानों को संरक्षण देने की अभी कोई गुंजाइश है और यदि ऐसा है तो क्या उत्पादन शुल्क के प्रयोजन से विद्यमान खण्ड दरों को जारी रखना न्यायोचित है ।

2. प्रशुल्क आयोग ने पिछले वर्ष जनवरी में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था । आयोग के प्रमुख निष्कर्ष एवं सिफारिशें संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं :—

(1) यदि दियासलाइयों का समान विक्रय मूल्य रखना वांछित हो तो सारे भारत में दियासलाई पर समान विक्रय-कर लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथाशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए और कर दियासलाई के शुद्ध मूल्य पर ही लगाया जाना चाहिए अर्थात् मूल्य में विक्रय मूल्य में से उत्पादन शुल्क कम करके शामिल किया जाए । भारत के सभी राज्यों में विक्रय-कर की दर दियासलाई के शुद्ध मूल्य की अधिकतम 4 प्रतिशत नियत कर दी जानी चाहिए ।

(2) चूंकि प्रत्येक एकक अथवा वर्ग के लिए निर्धारण मूल्य निश्चित करना न तो सम्भव ही होगा और न शीघ्र ही किया जा सकेगा; जबकि उद्देश्य समान खुदरा मूल्य बनाए रखना है, अतः, हम केवल वे अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं जो कारखानों के थोक गन्तव्य मूल्य कहे जा सकते हैं । यदि वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी की 50 तीलियों वाली साधारण दियासलाई के थोक मूल्य रु० 7.62 प्रति ग्रुस से अधिक नहीं निश्चित किए जाते तो वह निम्न थोक भावों के नमूने को ठीक कर देगा और दूसरे कारखानों को चाहिए कि वे बाजार की अपनी योग्यता के अनुसार भाव निश्चित कर लें । जब तक राज्यों में दियासलाई पर विक्रय-कर संबंधी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जाता, जिसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक के लिए दि वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी को विभिन्न राज्यों में रु० 7.62 प्रति ग्रुस से लेकर अधिकतम रु० 7.68 प्रति ग्रुस औसत के हिसाब से वसूल करने की अनुमति दी जा सकती है ।

(3) लघु एककों का विकास और विस्तार करने को प्रोत्साहन देने के अन्तर्निहित उद्देश्य के विपरीत उत्पादन शुल्क की वर्तमान खण्ड दरें उत्पादन का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन न देने वाली सिद्ध हुई हैं और उत्पादन शुल्क के अन्तर से बड़े एककों को न केवल छोटे एककों में जान-बूझ कर विभाजन करने का प्रलोभन मिला है जिससे अधिक शुल्क में छूट मिल सके अपितु वर्ग 'ग' के लघु एककों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके । इससे लघु एककों के साथ अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो गई है तथा सरकार को उत्पादन शुल्क से होने वाली आय में हानि पहुंची है । इस प्रक्रिया से मध्यस्थ व्यक्तियों, जिनमें व्यापारी एवं वित्त-प्रबन्धक, अन्त-प्रान्तीय मध्यस्थ व्यक्ति तथा वितरण-व्यवस्था के अन्य श्रेणियों को लाभ पहुंचा है जिनमें खुदरा व्यापारी भी सदैव शामिल होता है ।

(4) उत्पादन शुल्क की वर्तमान खण्ड प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

(5) दियासलाई बनाने वाले विभिन्न वर्गों के एककों पर लगने वाले वर्तमान भिन्न-भिन्न उत्पादन शुल्क को उनके संबंधित निर्माण लागत के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और चार वर्गों के एककों के लिए उत्पादन शुल्क की निम्नलिखित दरें निर्धारित की जा सकती हैं :—

'क' वर्ग के लिए रु० 4.60 प्रति ग्रुस पैकेट
'ख' वर्ग के लिए रु० 4.40 प्रति ग्रुस पैकेट
'ग' वर्ग के लिए रु० 4.10 प्रति ग्रुस पैकेट
'घ' वर्ग के लिए रु० 3.75 प्रति ग्रुस पैकेट

डी लक्स (स्पेशल) तथा अन्य किस्मों की दियासलाइयों के मामले में उत्पादन शुल्क प्रतिमानित दर पर लगाया जा सकता है ।

(6) लघु तथा मध्यम आकार के एककों को संरक्षण अर्थात् सहायता अभी दी जा सकती है ।

3. आयोग द्वारा निम्नलिखित सहायक सिफारिशें भी की गई हैं :—

(1) संबंधित प्राधिकार, केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों को चाहिए कि वे वन अनुसन्धान संस्था, भारतीय मानक संस्था तथा दियासलाई उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से एक सामूहिक योजना बनाने के लिए दियासलाई उद्योग को जिस उपयुक्त किस्म की लकड़ी की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराने संबंधी सम्पूर्ण स्थिति पर पुनर्विचार करें। लकड़ी पर पड़ने वाले भार में कमी करने के लिए दियासलाई उद्योग संबंधी वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन देने के लिए भी इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है ।

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा दिया गया सुझाव कि बड़े आकार की परिवार में काम आने वाली अर्थात् 200 तीलियों की डिबियां बांस की बनाई जा सकती हैं। यदि इनका उत्पादन करने की अनुमति दे दी जाती है और रियायत दी जाती है तो आयोग का सुझाव स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि उसका तात्पर्य यह होगा कि बांस के लिए बढ़ी हुई रियायत का प्रयोग किया जा सकेगा जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है ।

(3) सरकार को विमको से काष्टखण्डों के तत्काल जहाज पर लादे जाने और अण्डमान द्वीप समूह से लकड़ी मिलने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिएं।

(4) राज्य सरकारों, को विशेषतः मद्रास सरकार को लघु एककों को उनके उत्पादनों का विपणन एवं मध्यस्थ व्यक्तियों द्वारा उनका शोषण किए जाने की समस्या हल करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिएं। मद्रास राज्य में यह समस्या और भी अधिक गंभीर रूप में है किन्तु इससे पर्याप्त सदस्यों वाली अनेक पूर्णांग विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना करने की संभावना हो गई है ।

4. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। यद्यपि दियासलाइयों का विक्रय मूल्य समान होना वांछित है तो भी सारे देश में दियासलाइयों पर विक्रय-कर तथा अन्य स्थानीय करों में समानता लाने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे माल के मूल्यों में परिवर्तन हो जाने तथा मजदूरी बढ़ जाने के कारण काफी अवधि तक दियासलाइयों के कारखानों से चलते समय के भावों और थोक भावों पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। आयोग के सामने जो प्रमाण रखे गए उनसे यह निश्चय हो गया है कि केन्द्रीय उत्पादन नियमों के अधीन दियासलाइयों पर मूल्य अंकित करने की वर्तमान प्रणाली तथा प्रमुख निर्माताओं द्वारा मूल्यों पर लगाए गए ऐच्छिक नियंत्रण से उपभोक्ताओं को दियासलाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध होना निश्चित हो गया है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि दियासलाइयों के कारखाने से चलते समय के अधिकतम थोक मूल्य निश्चित करना आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि मूल्यों में अनुचित वृद्धि होती है तो सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने पर विचार करेगी । जहां तक शेष सिफारिशों का संबंध है, सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

5. सरकार ने उपर्युक्त कण्डिका 3 में उल्लिखित सहायक सिफारिश भी स्वीकार कर ली है तथा संबंधित अधिकारियों से इन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जा रहा है ।

आदेश

आदेश दिया गया है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों के पास भेजी जाए ।

यह आदेश भी दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

पी० एम० नायक, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक, 2 दिसम्बर 1965

सं० 12-29/65-सी० एण्ड सी० डी०—श्री एच० के० एल० भगत, उप-महापौर, दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 12-29/65-सी० एण्ड सी० डी० दिनांक 15 सितम्बर, 1965 के अनुसार बनाई गई दिल्ली क्षय रोग परियोजना की सलाहकार समिति में अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 12-29/65-सी० एण्ड सी० डी० दिनांक 15 सितम्बर, 1965 के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन, संसद् कार्य विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिवों, मंत्रीमण्डल सचिवालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत तथा योजना आयोग को भेज दी जायें।

एम० के० कुट्टी, उप-सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

प्रस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1965

सं० 6-5/64-अर्थ-नीति—भारत सरकार ने निश्चय किया है कि भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के प्रस्ताव संख्या 6-5/64-सी० (ई०), दिनांक 25 सितम्बर 1964, द्वारा निर्मित और अधिसूचना संख्या 6-5/64-अर्थनीति, दिनांक 30 अप्रैल 1965, द्वारा संशोधित, अर्थशास्त्रियों की नामिका में डा० राज कृष्णा और डा० ए० एम० खुसरो, जो विदेश चले गए हैं, के स्थान पर, नीचे लिखे अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया जाए :—

1. डा० धर्म नारायण,
   इंस्टिट्यूट आफ एकोनोमिक ग्रोथ,
   दिल्ली ।

2. डा० एम० बी० देसाई,
   प्रोफैसर, ऐग्रिकल्चरल एकोनोमिक्स,
   एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बरोडा,
   बरोडा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह प्रस्ताव समस्त संबन्धितों को भेजा जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह प्रस्ताव जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राज-पत्र में प्रकाशित किया जाय।

बी० शिवरामन्, सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1965

सं०-22(11)/62 एस० आर०-II—भारत सरकार ने भूगोल की राष्ट्रीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. प्रो० एस० पी० चटर्जी, **अध्यक्ष**
   अध्यक्ष-भूगोल विभाग,
   कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
2. ब्रिगेडियर गम्भीर सिंह,
   सर्वेयर-जनरल आफ इंडिया, देहरादून।
3. प्रो० जार्ज कुरियां,
   अध्यक्ष-भूगोल विभाग,
   दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
4. डा० आर० लहिरी,
   भूगोल विभाग,
   कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
5. प्रो० मोहम्मद, शाफी,
   भूगोल विभाग,
   मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
6. प्रो० वी० एल० एस० प्रकाशराव,
   भूगोल विभाग,
   उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
7. प्रो० आर० एल० सिंह,
   भूगोल विभाग,
   बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

भूगोल की राष्ट्रीय समिति के कार्य इस प्रकार होंगे: —

(क) भारत में भौगोलिक समस्याओं के अध्ययन को बढ़ावा देना,

(ख) देश में भौगोलिक अनुसंधान—जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है—शुरू करना तथा समन्वय करना, और देश में उनकी वैज्ञानिक चर्चा तथा प्रकाशन का प्रबन्ध करना,

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ तथा भूगोल की उन्नति सम्बन्धी अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क करना और सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों का समर्थन करना व मदद देना, तथा भूगोल के विकास में तथा उसके किसी भी पहलुओं विशुद्ध, व्यवहारिक अथवा शैक्षिक में योग दान देना।

एम० एम० मल्होत्रा, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 1965

सं० एफ० 8-12/64-पी० ई० 4—इस मंत्रालय की सम संख्यक अधिसूचना, दिनांक 28 अगस्त, 1965 में आंशिक संशोधन करते हुए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा उप-निदेशक (एन सी० सी०) को शिक्षा निदेशक के स्थान पर शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामजद किया जाता है।

रोशनलाल आनन्द, अवर-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1965

सं० एफ० 12-12/64 सी०-3—भूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12-1/63 सी०-3, दिनांक 23 अगस्त 1963 के आंशिक परिवर्तन में महाराष्ट्र सरकार के अभिलेखागार तथा ऐतिहासिक स्मारकों के निदेशक डा० एम० जी० दीक्षित को डा० पी० एम० जोशी (सेवा-निवृत्ति) के स्थान पर महाराष्ट्र सरकार के नामित के रूप में 14 फरवरी 1966 तक केन्द्रीय सलाहकार संग्रहालय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।

ए० एस० तलवार, अवर सचिव

परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संस्ताव

नयी दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1965

सं० 1-टी० (150)/64—श्री एम० एस० पलनीतकर, परिवहन के निदेशक, महाराष्ट्र और श्री एच० साम्बमूर्ति, परिवहन आयुक्त, आंध्र प्रदेश को इस मंत्रालय के संस्ताव संख्या 1-टी (150)/64 दिनांक 27 मई 1965 द्वारा नियुक्त की गयी जीवन क्षम एकांशों के अध्ययन दल में कार्य करने के लिए नामांकित किया जाता है, इनकी नियुक्ति श्री वाई० एस० कासबेकर और श्री हुमायूं बारखां के स्थान पर की गई है जिन्हें क्रमशः उक्त संस्ताव के पैरा 4 की क्रम संख्या 2 और 5 के विपरीत दिखाया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त संबद्ध जनों को भेज दी जाए और सामान्य सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

नरेन्द्र पाल माथुर, सह-सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 1965

सं० 17(3)/65-वि० का० 4—दुर्गापुर ताप बिजली घर पर तीसरे यूनिट के लिए विश्व बैंक से ऋण के संबंध में बातचीत करते समय विश्व बैंक ने कहा था कि ऋण इस शर्त पर दिया जाएगा कि दामोदर घाटी निगम यह स्वीकार कर ले कि दामोदर घाटी निगम के बिजली दरों को उचित रूप से बढ़ा दिया जाएगा जिससे किसी एक वर्ष में लगाई गई वास्तविक पूंजी पर कम से कम 7 प्रतिशत लाभ कमाया जा सके। इस स्वीकृति की परिपालना में दामोदर घाटी निगम ने अपने दरों को दुहराने का फैसला किया और मार्च 1964 में यह सूचना देते हुए उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए कि पुनरीक्षित दर 1-4-65 से लागू कर दिये जाएंगे। परन्तु दरों में वृद्धि के प्रति कई आवेदन पत्र आए हैं। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और बिहार की सहभागी सरकारों से परामर्श करके यह निर्णय किया है कि एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जाए जो इस बात की जांच करे कि क्या दामोदर घाटी निगम के दरों का पुनरीक्षण किया जाए और यदि हां तो कितने दर होने चाहिए और दरों की वृद्धि किस क्रमावस्था में की जाए। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

(1) श्री वी० वेणुगोपालन, सदस्य,
केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, नई दिल्ली।

(2) श्री एस० दत्त मजुमदार, सचिव,
पश्चिम बंगाल सरकार,
वाणिज्य व उद्योग विभाग, कलकत्ता ।

(3) श्री एन० पी० सिन्हा,
सचिव, बिहार सरकार,
सिंचाई व बिजली विभाग, पटना ।

2. समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे कि वे दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1965 से दामोदर घाटी निगम के दरों के प्रस्तावित पुनरीक्षण के सभी पहलुओं की जांच करेगी और उनके बारे में सिफारिशें करेगी । सिफारिशें करते हुए समिति निम्नलिखित बातों का ख्याल रखेगी :—

(क) न्यूनतम लाभ के सम्बन्ध में विश्व बैंक से किए गए वायदे ।

(ख) वैंकटरमण समिति की सिफारिशें ।

(ग) सभी अन्य सम्बद्ध मामले जैसे कि जब तक समिति की सिफारिशों के आधार पर दामोदर घाटी निगम दरों के पुनरीक्षण पर निर्णय नहीं लेता, तब तक पुनरीक्षित दरों को लागू रखा जाना चाहिए कि नहीं ।

3. समिति अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाएं ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए तथा पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे भी इस संकल्प को आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित कर दें ।

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1965

सं० 17(1)/65-वि० का० 4—पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में यह मान लिया गया है कि दामोदर घाटी निगम जो कि दामोदर घाटी से बाहर के कई एक क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई कर रहा है, धीरे-धीरे घाटी से बाहर के बिजली भारों को राज्य बिजली बोर्डों को हस्तांतरित कर देगा और राज्य सरकारें भी इसी प्रकार उन बिजली भारों को जिन को वे घाटी के भीतर के क्षेत्रों में सप्लाई कर रही है, दामोदर घाटी निगम के हवाले कर देंगी । नई दिल्ली में 16 जून 1965 को हुई बैठक में इस आवश्यकता को भी मान लिया गया था कि बिजली भारों का हस्तान्तरण क्रमावस्था रूप से किया जाए ताकि दामोदर घाटी निगम के वित्तीय लाभों पर कुप्रभाव न पड़े । बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निष्कासन संबंधी प्रावस्थित कार्यक्रम पर विचार किया गया और राज्य की चौथी योजना स्कीमों से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने तक राज्य सरकार की विकासी बिजली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को बहुत अशिथिल समझा गया । अतः, भारत सरकार ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाए गए निष्कासन संबंधी प्रावस्थित कार्यक्रम की परिपालन संभाव्यता की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है :—

(1) श्री के० एल० विज, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, नई दिल्ली । — अध्यक्ष

(2) श्री एम० डब्ल्यू० गोकलानी,
अतिरिक्त मुख्य बिजली अभियन्ता,
दामोदर घाटी निगम, मैथोन ।

(3) श्री बी० एन० ओझा,
मुख्य अभियन्ता, बिहार,
राज्य बिजली बोर्ड, पटना ।

समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि बिहार सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और बिहार सरकार से प्रार्थना की जाए कि वे इसको राज्य के राजपत्र में आम सूचना के लिये प्रकाशित कर दें ।

वि० नन्जप्पा, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1965

सं० ई० एल० 2-22(3)/65—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० ई० एल० 2-22(1)/64, दिनांक 14 अप्रैल 1964 का अंशतः संशोधन करते हुए श्री वी० वेनुगुपालन, सदस्य, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को श्री के० पी० एम० नैयर के पदस्थान पर बिजली तथा दूर संचार लाइनों के समन्वय से संबद्ध केन्द्रीय स्थायी समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

बी० सी० गंगोपाध्याय, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-11, *the 27th November*, 1965

No. 9/84/65-Police IV.—The President is pleased to award the Police (Special Duty) Medal to the following officers of the Kerala Police in recognition of their service in the specified areas of Nagaland :—

Sl. No.	Ranks	Names
1.	Inspector	.. N. Sadasivan
2.	Inspector ..	.. K. Peethambaran Nair
3.	Inspector ..	.. C. P. Raman
4.	Sub-Inspector	.. Leopold D'Souza
5.	Sub-Inspector	.. Abdul Hameed

2. These awards are made under rule 1 of the rules governing the award of the Police (Special Duty) Medal.

The 29th November, 1965

No. 24/3(4)/64-Police-I(P IV)—The President is pleased to award the Police (Special Duty) Medal to the following officers of the Madhya Pradesh in recognition of their service in the specified areas of—

(1) *Nagaland*

Sl. No.	Personal Number	Ranks	Names
1.		Assistant Commandant	J. T. Tully
2.		Assistant Commandant	G. D. M. Thapa
3.	Company	Second-In-Command	S. N. Naithani
4.	Company	Second-In-Command	M. D. Singh
5.	Company	Second-In-Command	M. N. Kabtiyal
6.	Company	Second-In Command	G. S. Pundye
7.	Company	Second-In-Command	I. S. Gehlot
8.	Company	Second-In-Command	K. P. Mishra

Sl. No.	Personal No.	Ranks	Names
9.	Company	Second-In-Command	Nathu Ram
10.	Company	Second-In-Command	Khazan Singh
11.	Company	Second-In-Command	C. B. Gurung
12.	Company	Second-In-Command	Raje Singh
13.	Company	Second-In-Command	K. P. Tungnawat
14.	Company	Second-In-Command	S. S. Tiwari
15.	Company	Second-In-Command	P. Josoph
16.	Company	Second-In-Command	B. K. Singh
17.	Company	Second-In-Command	M. M. A. Khan
18.	Company	Second-In-Command	Man Bahadur
19.	Company	Second-In-Command	Hamir Singh
20.	Company	Second-In-Command	D. Bhattacharya
21.	128	Constable	Bhagwan Singh
22.	246	Constable	Govind Singh
23.	247	Constable	Govind Singh
24.	570	Constable	Bahadur Singh
25.	571	Constable	Bahadur Singh
26.	363	Constable	Ramnath
(II)	*Assam*		
27	153	Constable	Chhote Singh

2. These awards are made under rule 1 of the rules governing the award of the Police (Special Duty) Medal.

CORRIGENDUM

No. 24/3(4)/64-*Police(I)(PIV)*.—In the list of officers awarded the Police (Special Duty) Medal in recognition of their service in the specified areas of Assam and notified in Ministry of Home Affairs' Notification No. 24/3(4)/64-PI-(PIV) dated 14-6-1965 :—

(i) against S. No. 433 *for* 644 Constable Saturi Singh *substitute* 644 Constable Laturi Singh

(ii) against S. No. 492 *for* 794 Constable Attal Singh *substitute* 794 Constable Atbal Singh

G. L. BAILUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

RESOLUTIONS

New Delhi, the 18th November 1965

No. 16/6/65-*SCT.II*.—The Government of India have decided to extend the term of the present Central Advisory Board for Harijan Welfare reconstituted under the Ministry of Home Affairs Resolution No. 5/3/62-SCT.III(B), dated the 27th July 1963, for a further period up to the 16th August 1966.

2. On account of the demise of Shri P. L. Majumdar, Shri Jiwanlal Jairamdas, Secretary, Harijan Sewak Sangh, Delhi, is appointed as a member of the Board.

ORDER

ORDERED that the above be published in the Gazette of India.

No. 16/8/65-*SCT.II*.—Shri Jiwanlal Jairamdas, Secretary, All India Harijan Sewak Sangh, Delhi, is appointed as a Member of the Committee on Untouchability, Education and Economic Uplift of Scheduled Castes constituted *vide* this Department's Resolution No. 14/5/64-SCT.II, dated the 27th April 1965, in place of Shri P. L. Majumdar, deceased.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 17th November 1965

No. 12/38/65-*E.Pty*.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf of, the firms specified in the Schedule hereto annexed shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

SCHEDULE

1. Messrs. M. Nazir Husain & Co., 40/41, Madhavaram High Road, Perambur, Madras-11.
2. Messrs. Perambur Chrome Tannery, 40/41, Madhavaram High Road, Perambur, Madras-11.
3. Messrs. N. Kureshi, 40/41, Madhavaram High Road, Perambur, Madras-11.

The 19th November 1965

No. 12/41/65-*E.Pty*.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf of, Messrs. Mokhamdin & Sons Estates Limited, P/3, Chandni Chawk Street, Calcutta, shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

The 22nd November 1965

No. 12/40/65-*E.Pty*.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf of, Messrs. Amin Agencies Limited, 25/26, Waterloo Street, Calcutta-1 shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

The 23rd November 1965

No. 12/37/65-*E.Pty*.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India, movable and immovable, belonging to or held by, or managed on behalf of, Messrs. Haji Habib Haji Pirmohamed, 25, Amratolla Street, Calcutta-1, shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

No. 12/39/65-*E.Pty*.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf, of Mr. Haji Habib Haji Pirmohamed (other than his share in the partnership known as Messrs. Haji Habib Haji Pirmohamed), 25, Amratolla Street, Calcutta-1, shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

P. K. J. MENON, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & SUPPLY

(Department of Industry)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th November 1965

No. 37(1)/64-*L.Ind.(II)*.—Under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, the Government of India requested the Tariff Commission to undertake a full-scale price enquiry in the match industry with a view to establishing the cost of production in 'A', 'B', 'C' & 'D' class factories and to recommend fair *ex*-factory and wholesale selling prices for matches. The Commission were also requested to examine :—

(i) whether there has been a deliberate fragmentation of 'B' and 'C' class factories with a view to avail of the lower rates of excise duty in the lower slabs and, if so, to suggest remedial measures; and

(ii) whether there is still a case for giving protection to small and medium type factories and, if so, whether the continuance of the existing slab rates of excise duty for the purpose is justified.

2. The Tariff Commission submitted its report in January last year. The main conclusions and recommendations of the Commission are briefly summarised below :—

I. (i) If a uniform selling price for matches is a desideratum steps should be taken as early as possible by the State Governments to levy uniform sales tax on matches throughout India and the tax should be levied only on the net value of matches, *i.e.*, selling price less excise duty included in the price. The rate of sales tax in all States in India should be restricted to a ceiling of 4 per cent on the net value of matches.

(ii) As it will not be possible or expedient to fix retention prices for each unit or class, and the object is to enable uniform retail prices to be maintained, we can only prescribe the ceiling prices which can be declared as wholesale destination prices of factories. If this wholesale price is fixed at not exceeding Rs. 7.62 per gross of 50's ordinary matches for the Western India Match Company, it would set the patterns of lower wholesale prices other factories must needs adopt according to their ability to market. Pending implementation of the recommendation about the sales tax on matches in the States, which may take some time, for the interim period the Western India Match Company may be allowed to charge different rates in the different States subject to an average of Rs. 7.62 per gross and a maximum of Rs. 7.68 as at present.

(iii) Contrary to the underlying objective of stimulating the growth and expansion of small scale units, the existing slab rates of excise duty have acted as a disincentive for expansion of production and the excise differentials have induced not only a deliberate fragmentation of bigger units into smaller ones to take advantage of the high duty concessions for the lowest slab rates but also a mushroom growth of

small scale units in class 'C'. This has brought about unhealthy competition from the small scale units and entailed loss of excise revenue to Government. The beneficiaries in this process were the middlemen comprising the trade-*cum*-financier, the up-country middlemen and other tiers in the distributive hierarchy, inclusive always of the retailer.

(iv) The present slab system of excise duties should be scrapped.

(v) The present differentials in the levy of excise duty for different classes of match manufacturing units cannot be justified on the basis of their respective costs of manufacture, and the following scales of excise duty may be laid down for the four classes of units :

For 'A' class	Rs. 4.60 per gross boxes
For 'B' class	Rs. 4.40 per gross boxes
For 'C' class	Rs. 4.10 per gross boxes
For 'D' class	Rs. 3.75 per gross boxes

The excise duty in the case of De-Luxe (special) matches and other varieties may be levied at the standard rate.

(vi) There is still a case for giving protection, that is, assistance, to the small and medium sized units.

3. The following ancillary recommendations have also been made by the Commission :

(i) The whole situation regarding availability of suitable species of wood required by the match industry should be reviewed by the authorities concerned, both Central and State, in consultation with the Forest Research Institute, Indian Standards Institution and the representatives of the match industry, for the formulation of a concerted scheme. In the same context to reduce the strain on timber resources encouragement for use of alternate material for the match industry may also be surveyed.

(ii) The suggestion made by the Khadi and Village Industries Commission that bamboo could be more readily used for making large size family boxes of say, 200 sticks, if its production is allowed and a concession given, may be accepted as it will mean more extended use of the present concession for bamboo which is not being fully utilised.

(iii) Government should give careful consideration to the complaints of WIMCO about difficulties in prompt shipment of splints and timber from the Andaman Islands and provide necessary facilities for the removal thereof.

(iv) The State Governments, particularly the Government of Madras, should initiate necessary measures for tackling the problem of small scale units in the marketing of their products and their exploitation by middlemen. The problem presents itself in the most acute form in the Madras State but offers favourable prospects for the establishment of several full-fledged sales co-operatives with adequate membership.

4. Government have given very careful consideration to the recommendations of the Commission. Though a uniform selling price for matches is very much to be desired, there are certain practical difficulties in ensuring uniform sales tax and other local taxes on matches throughout the country. Besides, due to changing costs of raw materials and labour charges, a rigid price control on the *ex*-factory and wholesale prices of matches cannot be maintained over a reasonably long period. As the evidence brought before the Commission has established that the present practice of marking prices on matches under the Central Excise Rules and the voluntary control on prices exercised by the principal producers has been able to ensure the availability of matches to consumers at a reasonable price, Government have decided that it is not necessary to fix any ceiling *ex*-factory or wholesale prices for matches. However, should there be an undue increase in prices, Government will consider suitable steps for keeping the prices under control. As regards the remaining recommendations, Government have accepted them and necessary orders have been issued.

5. Government have also accepted the ancillary recommendations, mentioned in para 3 above and the concerned authorities are being requested to take necessary action on these.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

CORRIGENDUM

The 30th November 1965

No. LEI(A)-16(5)/64.—In this Ministry's Resolution No. LEI(A)-16(5)/64 dated the 17th September 1965, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 2nd October 1965, (ASVINA 10, 1887), *for* existing entry at No. 3(7) in Col. 1 at Page 546 of the Gazette, the following may be *read* :—

"7. Col. S. Gopala Krishnan,
DDG (E. & S.),
Office of the DG, AFMS,
Ministry of Defence,
New Delhi."

ORDER

ORDERED that a copy of the Corrigendum be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

P. M. NAYAK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd December 1965

No. F. 12-29/65-*C&CD*.—It has been decided to nominate Shri H. K. L. Bhagat, Deputy Mayor, Municipal Corporation of Delhi as an additional member of the Advisory Committee for the Delhi Tuberculosis Project constituted *vide* Ministry of Health Resolution No. F. 12-29/65-C&CD dated the 15th September 1965.

ORDER

ORDERED that in continuation of the Ministry of Health Resolution No. F. 12-29/65-C&CD dated the 15th September 1965, this Resolution be communicated to Delhi Administration, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Sectt., All Ministries of the Government of India, Prime Minister's Sectt., the Private & Military Secretaries to the President, the Cabinet Sectt., the Comptroller and Auditor General of India and Planning Commission.

M. K. KUTTY, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi-1, *the 29th November* 1965

No. F. 6-5/64-*Econ.Py*.—The Government of India have decided that the following economists may be included in the Panel of Economists constituted by the Government of India in the Ministry of Food & Agriculture, (Department of Agriculture) Resolution No. 6-5-/64-C(E) dated 25-9-64 as amended by Notification No. 6-5/64-Econ. Py. dated 30th April 1965, in place of Dr. Raj Krishna and Dr. A. M. Khusro who have gone abroad :—

1. Dr. Dharm Narain,
Institute of Economic Growth,
Delhi.

2. Dr. M. B. Desai,
Professor of Agricultural Economics,
M. S. University of Baroda,
Baroda.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SIVARAMAN, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 2nd November 1965

No. 22(11)/62-*SR.II*.—The Government of India have decided to set up a National Committee for Geography consisting of the following,—

1. Prof. S. P. Chatterjee, *Chairman*
Head of the Deptt. of Geography,
Calcutta University,
Calcutta.

2. Brig. Gambhir Singh,
Surveyor-General of India,
Dehra Dun.

3. Prof. George Kuriyan,
Head of the Deptt. of Geography,
Delhi University,
Delhi.

4. Dr. R. Lahiri,
Department of Georgraphy,
Calcutta University,
Calcutta.

5. Prof. Mohammad Shafi,
Department of Geography,
Muslim University,
Aligarh.

6. Prof. V. L. S. Prakasa Rao,
Department of Geography,
Osmania University,
Hyderabad.

7. Prof. R. L. Singh,
Department of Geography,
Banaras Hindu University,
Varanasi.

The functions of the National Committee for Geography will be as follows,—

(a) to promote the study of geographical problems in India;

(b) to initiate and co-ordinate geographical researches in India requiring international cooperation, and to provide for their scientific discussion and publication in the country;

(c) to liaise with the International Geographical Union and other organisations concerned with the advancement of geography and generally to support and assist international activities likely to contribute to the development of geography in any of its aspects pure, applied or educational.

M. M. MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 25th November 1965

No. F. 12-12/64-*C.3.*—In partial modification of the erstwhile Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs Notification No. 12-1/63-C.3 dated the 23rd August, 1963 Dr. M. G. Dikshit, Director of Archives and Historical Monuments, Government of Maharashtra has been appointed member of the Central Advisory Board of Museums up to 14-2-1966 as a nominee of the Government of Maharashtra *vice* Dr. P. M. Joshi retired.

A. S. TALWAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th November 1965

No. 1-*T*(150)/64.—Shri M. S. Palnitkar, Director of Tran port, Maharashtra and Shri H. Sambamurty, Transport Commissioner, Andhra Pradesh, have been nominated to work on the Study Group on Viable Units appointed *vide* this Ministry's Resolution No. 1-T(150)/64, dated the 27th May 1965, in place of Shri Y. S. Kasbekar and Shri Humayun Yar Khan, shown against S. Nos. 2 and 5 respectively in para 4 of the said Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India, for general information.

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 11th November 1965

No. EL-II-22(3)/65.—In partial modification of this Ministry's Notification No. EL-II-22(1)/64, dated the 14th April 1964, Shri V. Venugopalan, Member, Central Water and Power Commission, is appointed as member of the Central Standing Committee for Co-ordination of Power and Telecommunication Lines *vice* Shri K. P. S. Nair.

B. C. GANGOPADHYAY, Director.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965.